रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1825] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2014/भाद्र 21, 1936

No. 1825] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2014/BHADRA 21, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 11 सितम्बर, 2014

का.आ. 2319(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 का और संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: ad.raju @nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 8(क) और मद 8(ख) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8		भवन/सन्निर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और नगर		
8(क)	भवन और सन्निर्माण परियोजनाएं		≥ 20000 वर्गमीटर और <	इस अधिसूचना के प्रकाशन के

			1,50,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र में	लिए निर्मित क्षेत्र को सभी तलों पर इसके निर्मित या आच्छादित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत बेसमेंट और अन्य सेवा क्षेत्र भी है जिनका भवन/निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव किया गया है। टिप्पण: (i) भवन की बाबत परियोजना गतिविधियों में, शैक्षणिक भवन, वाणिज्यिक भवन, होटल, अस्पताल, होस्टल, कार्यालय, भवन और सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर विकास इकाइयां/पार्क है (ii) "साधारण शर्त" लागू नहीं होती है।
8(ख)	नगर और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		जो ≥ 50 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है और या ≥ 1,50,000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र को कवर करती है ++	++ मद 8(ख) के अधीन सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन श्रेणी ख 1 परियोजनाओं के रूप में किया जाएगा। टिप्पण: "साधारण शर्त" लागू नहीं होती है।"

[फा. सं. 19-2-2013-आईए. III]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए:-

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ.3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011
   का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
4. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
5. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
6. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
7. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014; और
8. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2014

S.O. 2319(E). – The following draft notification further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated 14th September, 2006 which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for the information of the public likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003 or electronically at email address: ad.raju@nic.in

Draft Notification

In the Scheduled to the said notification, for items 8(a) and 8(b), and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8	**Building /Construction projects/Area Development projects and Townships**			
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq mtrs and <1,50,000 sq mtrs. of built-up area#	The built up area for the purpose of this Notification is defined as "the built up or covered area on all the floors put together including basement(s) and other service areas, which are proposed in the building/construction projects **Note:** (i) The projects or activities covered are residential buildings, commercial buildings, hotels, hospitals, hostels, office blocks and information technology / software development units/Parks (ii) "General Condition" is not applicable.
8(b)	Townships and Area Development projects.		Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq .mtrs ++	"All projects under item 8(b) shall be appraised as Category B1 **Note:** "General Condition" is not applicable."

[F. No. 19-2/2013-IA III]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;

33

2014